कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 63 /12-1(2) अल्मोड़ा, दिनांक 04-07-.2020.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषय :– चण्डाक – धारी मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या 40805/2019।

संदर्भ :– ऑन लाईन प्रस्ताव दिनांक 08.05.2020।

महोदय,

विषयगत प्रस्ताव में कुल 145 विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के साथ–साथ 51 बाँज वृक्ष भी प्रभातिव हो रहे है। प्रस्तावित वन भूमि में आरक्षित वन क्षेत्र 0.29 है और वन पंचायत में 0.99 है0 प्रभावित हो रही है, जिसमें 51 बॉज के वृक्ष प्रभावित हो रहे है। इस प्रकार यह क्षेत्र बॉज की दृष्टि से काफी सघन क्षेत्र प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में आप प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी के साथ स्वयं अथवा अपने उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर वैकल्पिक संरेखण पर विचार करना सुनिश्चित करें। वैकल्पिक संरेखण उपलब्ध न होने की स्थिति में परियोजना में प्रभावित हो रहे वृक्षों की न्यूनता के बारे में अपना स्पष्ट प्रमाण पत्र दें कि बॉज वृक्षों के पातन के बगैर रोड का निर्माण सम्भव नहीं है। चूंकि अधोहस्ताक्षरी का कार्यक्षेत्र वृहत होने के कारण दूसरे विकास कार्यों से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों निरीक्षण किया जाना होता है, इस प्रकार के निरीक्षण के कार्यों में अधोहस्ताक्षरी अत्यधिक व्यस्त रहते है। अतः प्रस्तावक विभाग द्वारा अधोहस्ताक्षरी से निरीक्षण हेतु तिथि एवं समय हेतु निर्धारित किये जाने हेतु सम्पर्क किया जा सकता है, ताकि सुविधानुसार निरीक्षण की तिथि निर्धारित की जा सकें।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा